न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 62/2025

श्री गंगाधर मीणा निवासी बी–17 पार्श्वनाथ कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड जयपुर पिन 302019 ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 31.07.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 11.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 खसरा न.141,160,170,176,189,270,271,298,321,48,8,130,175 गाँव जशोदानंदनपुरा, पटवार हल्का तुर्किया, भू–अभिलेख निरीक्षक दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि का 14/11/2000 को पंजीयक कार्यालय निवाई में दर्ज लाडा पुत्री लक्ष्मीनारायण एवं भोली पुत्री लक्ष्मीनारायण के "हकत्याग–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण प्रविष्टियो सहीत प्रदान करने की कृपा करे।

2. खसरा न 317, 139, 160, 165, 174, 232, 238, 242, 243, 290, 313, 315, 60, 70, 98, 96, 42, 4, 40 ग्राम चिमनपुरा, पटवार हल्का दहलोद, भू–अभिलेख निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग, तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि का 14/11/2000 को पंजीयक कार्यालय निवाई में दर्ज लाडा पुत्री लक्ष्मीनारायण एवं भोली पुत्री लक्ष्मीनारायण के "हकत्याग–पत्र" की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण प्रविष्टियो सहीत प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1349 दिनांक 21.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 722 दिनांक 30.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध उप पंजीयक निवाई से होने से उनके पत्र कमांक 695 दिनांक 17.07.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 696 दिनांक 17.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। उप पंजीयक निवाई के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट उप पंजीयक निवाई के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)